MR SPEAKER Why are you coming in the way of other questions being answered?

SHRI JYOTIRMOY BOSU It is vital for the country

MR SPEAKER You can put a question

SHRI SAUGATA ROY You should allow half an hour discussion on the reply given by the Minister

MR SPEAKER Yes, if notice comes we shall consider I have already told you what the rule is and what the direction is I am bound by the rule and the direction (*Interruptions*) Please do not obstruct the proceedings

SHRI JYOTIRMOY BOSU What else can I do?

MR SPEAKER You are obstructing Let us take up the next question

Restrictions imposed by E.E.C. Countries on Indian Goods

*352 SHRI DURGA CHAND Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that there is no easy flow of Indian goods into the EEC Countries,

(b) if so, what is the nature of restrictions imposed by the EEC Countries on Indian goods,

(c) whether any negotiations are being held with the EEC Commission in this regard and

(d) if so with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) and (b) The flow of Indian goods into the EEC Countries is generally satisfactory but in some commodities/goods, the possibilities of accelerating exports are inhibited by restrictions of different kinds Such restrictions are in the nature of tariff and also non-tariff barriers including quantitative restraints, import surveillance system etc

(c) and (d) These issues are normally pursued through appropriate bilateral and multilateral fora In some cases, including textiles, jute, coir negotiations had been held and satisfactory understanding has been reached

श्री दुर्गा चन्द मंत्री महोदय ने कहा है कि ई० ई० सी० कट्रीज, जैसे अमरीका कनाडा और आस्ट्रेलिया जिन्होंने कि हमारे गुड्ज की एक्सपोर्ट, जो कि स्पैसीफाइड है, पहले जिनका जिक्र हो चुका है, पर कुछ पाबन्दी लगाई है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि जो 100 डैवलप्ड या डैवलपिंग कट्रीज है, जिनको ऐसी रिस्ट्रीक्शन्ज से नुक्सान पहुचा है, क्या हमारा देश, हिन्दुस्तान कोई ऐसा इनिशियटिव लेगा कि उनकी कोई कान्फ्रेंस बुलाये और कोई ज्वायन्ट प्रोटैस्ट किया जाय, ताकि हम जो एक्सपोर्ट में लास हो रहा है वह खत्म हो जाये ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ई० एस० सी० ए० पा० की जो मीटिंग बैंकाक में हुई थी—वह गय साल भी हुई और अभी भी हुई—उस में मैंने यह सवाल उठाया था । माननीय सदस्या को जान कर खुशी होगी कि इसी लिए हमारे ई० एस० सी० ए० पी० कट्रीज के कामर्स मिनिस्ट्रर्ज की काफ्रेंस भारत में 16 अगस्त और 23 अगस्त के दरमियान होने वाली है । उस में जरूर इस बात पर विचार किया जायगा । माननीय सदस्यो की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए हम ने इस बारे में कोशिश शरू

कर दी है । मुझे खुशी है कि मिनिस्टर्ज की मीटिंग करने का वायदा किया गया है ।

श्री दुर्गा चन्द : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट हू । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर इस बारे मे कोई संतोषजनक समझौता न हो सके, और ये रेस्ट्रिक्शन्ज इसी तरह जारी रहें, तो क्या सरकार मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया या साउथ एशिया के मुल्कों मे कोई आल्टरनेटिव मार्केट तलाश करने की कोशिश करेगी, ताकि स्टील, इंजिनियरिंग गुड्ज, फेब्रिक्स और काटन वगैरह का हमारा सामान बाहर जा सके ।

श्री आरिफ़ बेग : इस बात का प्रयास हो रहा है कि हम अन्य देशो मे भी अपने माल की खपत कर सकें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सत्य है कि जिन देशों मे पिछले आठ दस साल पूर्व हमारा माल अच्छी मात्रा मे जाता था, किन्तु व्यापार निगम या अन्य व्यापारियों द्वारा वहा कुछ खराब माल भेजा गया, इस लिये उन्होने हमारा माल मगाना बन्द कर दिया यदि हा, तो उन दशों मे हमारी जो साख खराब हुई है, वह अच्छी हो और हमारा माल वहा पुन जाना प्रारम्भ हो, इस के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? वहा कितना माल जाता था ?

श्री आरिफ़ बेग : ऐसी कोई बात तो नही है । लेकिन अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई स्पेसिफिक बात बतायेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कदम भी उठा सकते हैं । मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यापारी ने इस सिलसिले मे कोई गड़बडी की है, तो सरकार ने उस के खिलाफ कदम उठाया है । माल भेजने से पहले बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है ।

SHRI MOHAN DHARIA: I would like to clarify because it should not happen that it should go in a distorted way. It is a fact that there are some exporters who do not take proper care about quality and it has been one of the reasons why. . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने प्रश्न हिन्दी मे पूछा है ।

श्री मोहन धारिया : मै कह रहा था कि यह बात सही है कि हमारे कुछ एक्सपोर्टर्ज ने जिस रीति से क्वालिटी रखनी चाहिए थी वैसे नही रखी । इस लिए सरकार न केवल चिन्तित है, बल्कि हम ने यह कोशिश की है कि हमारा क्वालिटी कट्रोल अच्छा रहे । इतना ही नही, जो लोग खराब माल भेजेंगे उनका केवल लाइसेंस ही रद्द नही होगा बल्कि उसे अपराध माना जायेगा । इसके लिए हम एक बिल तैयार कर रहे है, और यह बिल लेकर मैं सदन के सामने जरूर आऊगा । हम एक और कोशिश यह भी कर रहे है कि हम एक्सपोर्ट करने वाले लोगो के लिए एक सैल्फ-सर्टिफिकेशन सिस्टम पैदा कर रहे है--वे लोग खुद कहे कि हम क्वालिटी मेनटेन करेंगे, यह हमारा सर्टिफिकेट है । हम उन पर विश्वास करने के लिए तैयार है । लेकिन जो जिम्मेदारी के साथ काम नही करेगा, उसके खिलाफ हमे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी । मै उसके लिए आपके सामने एक बिल लेकर आऊगा । मुझे आशा है कि इससे यह समस्या हल हो जायेगी ।

चौधरी बलबीर सिंह क्या मत्री महोदय बतायेंगे कि जिस तरह तेल पैदा और एक्सपोर्ट करने वाले देशो ने ओ०पी०ई०सी० नाम का सगठन बनाया है, क्या चाय और कुछ दूसरी चीजों के सम्बन्ध मे, जिन पर कुछ मुल्कों की मानोपली है, बाकी मुल्कों के साथ तिजारत करने के सिलसिले में उसी ढंग का इस्तेमाल किया जायेगा, ताकि हमारी तिजारत बढ़ सके ?

श्री आरिफ बेग: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, जैसे तेल उत्पन्न करने वाले मुल्कों ने अपना संगठन बनाया है इसी प्रकार से हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे वस्तुएं जो हम अपने यहां उत्पादित कर रहे है, मिसाल के तौर पर चाय है, चाय जिन-जिन देशो में पैदा होती है हम उन देशों के सम्पर्क मे है, उनसे बातचीत कर रहे है और इस बात की कोशिश कर रहे है कि जो चीजे हम उत्पादित करते है उसका अच्छा भाव हमे दुनिया के दूसरे ममालिक मे मिले।

SHRI A BALA PAJANOR: Sir, there is a difference between the answer given by the Minister of Commerce and the Minister of State for Commerce. The Minister of State said that there is no such case and if any trader is small, he is taken care of. But as I understand from the answer given by the Minister of Commerce, he says that because of certain merchants who are selling sub-standard goods, our foreign market has been affected. But on the contrary it is also reported that because of the quality of our goods they are afraid of purchasing from our market I am afraid this kind of answer may discourage the small producers and exporters who are coming in large numbers and it will affect our foreign exchange earnings also. If the Minister is so categorical in his statement, I would like to know the percentage of the sub-standard goods that have been exported due to which our market in the foreign countries has been affected. I want a specific answer because he has given a general statement. Besides, the Minister is also aware of the fact that there is quality control and it is only after the quality control certificate is given our goods are exported. It is such a contradictory reply and so I want a clarification from the Minister.

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, as I said earlier, there should be no misunderstanding and so far as my colleague is concerned, he felt reference was made regarding certain complaints. If they are brought to our notice, we shall look into them. However, I feel that in view of my own experience during my travels out of India, I could clarify the situation and therefore, I have clarified. There is nothing like inconsistency, but I felt that some more clarification is necessary.

Regarding quality control, as I said in Hindi, so far, at the most we cancel the licence, but we cannot take any penal action against the exporter who is not observing those norms of quality and therefore, my Ministry has prepared a Bill which is being discussed with the Law Ministry. After it is approved by the Cabinet, I would very much like to come before the House and accordingly I would like to have a sanction whereby those who do not export according to the norms and quality standards or specifications, as they are doing harm not to themselves, but to the reputation of the country, we shall have to take some firm decisions and firm action and in this context, we would like to come forward with the Bill before this House.

So far as the scheme of self-certification is concerned, we would very much like to encourage the exporters. If they themselves observe these disciplines, we shall be happy, but in case they fail in observing the disciplines, we cannot afford to leave them.

श्री गौरीशंकर राय: इसी प्रश्न के संबंध में मुझे एक जानकारी करनी है। आज दुनिया में प्रश्न जितना आपके क्वालिटी कंट्रोल का नही है उससे ज्यादा व्यापार मे डिसेप्शन का है। मैं अभी सिंगापुर गया था। वहां भारतीय ओरिजिन के व्यापारियों ने और सिंगापुर के व्यापारियों ने बताया कि

भारत से व्यापार हम ने बन्द कर दिया है इसलिए कि जो वे स्पेसिमेन देते हैं उसके खिलाफ वहां से सामान भेजते है। तो यह सवाल सीधा साधा परजरी का है। इंडियन ओरिजिन के व्यापारियों ने कहा कि हम ने भी हिन्दुस्तान से व्यापार बन्द कर दिया है क्योंकि हिन्दुस्तान से व्यापार में अब किसी का इंटरेस्ट नही है। इसी सन्दर्भ मे मै यह कहना चाहता था कि आप जो प्रोपोज़ कर रहे है वह सिर्फ स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल की बात नही है, उसमें परजरी की बात भी है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई है लेकिन कोई ऐक्शन उन पर नही हुआ है। हम ने उनसे कहा है कि आप भेजिए।

श्री मोहन धारिया: मैंने तो यह कहा था कि क्वालिटी कंट्रोल और स्पेसिफिकेशन दोनों की बात है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बात सही है। कुछ लोग जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके मुताबिक माल नही भेजते हैं। उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही हम जरूर करेंगे और अगर ऐसा कोई केस भेजा गया हो, आप मुझे उसकी जानकारी देंगे तो मैं पहले ही कह देता हूं कि आपकी सूचना आने के बाद उसकी एन्क्वायरी की जायेगी और तुरंत उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Cases regarding dilution of Equity holding of Foreign Companies pending with R.B.I.

*348. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposals of a number of foreign companies for the dilution of their equity holdings to 40 per cent are pending with the R.B.I. for finalisation;

(b) whether it is a fact that most of such cases belong to drugs and pharmaceuticals sector;

(c) what are the details thereof; and

(d) the reasons for delay for the finalisation of their cases?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Under Section 29(2)(a) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the Reserve Bank of India received 880 applications. Final directives have been issued in regard to 834 applications specifying levels of permissible non-resident interest.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

(d) The FERA applications of these companies will be decided after Government's new drug policy based on the recommendations of the Hathi Committee is finalised.

Statement

Drug Companies

1. The Anglo-French Drug Co. (Eastern) Ltd., Bombay.
2. Abbot Labs. (I) Pvt. Ltd., Bombay.
3. Bayer India Ltd.
4. Burroughs Wellcome & Co. Ltd., Bombay.
5. Ciba Geigy of India Ltd., Bombay.
6. Boots Co. (I) Ltd., Bombay.
7. Cynamid India P. Ltd., Bombay.
8. Carter Wallace & Co. Ltd., Bombay.
9. C. E. Fulfor (I) P. Ltd., Bombay.
10. E. Merck India P. Ltd., Bombay
11. Glaxo Labs. I. Ltd., Bombay.
12. Geoffry Manners & Co. Ltd., Bombay.
13. Grove Products (Far East) Ltd.
14. Hoechst Pharmaceuticals Ltd.